भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 2050
वाणिज्य विभाग

दिनांक 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

टीआईईएस के अंतर्गत परियोजनाएं

2050. श्री **डग्गुमल्ला** प्रसादा राव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकारप्राप्त समिति द्वारा क्षेत्रविशिष्ट अवसंरचना कमियों की पहचान करने और परिसम्पत्तियों के आकलन हेतु कोई अनुदान स्वीकृत किए गए हैं; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशिष्ट ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, निर्यात अवसंरचना में अंतर को पाटकर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, केन्द्रित निर्यात अवसंरचना सृजित करने निर्यात-उन्मुख परियोजनाओं के लिए प्रथम और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी बनाने और गुणवत्ता और प्रमाणन उपायों का समाधान करने के उद्देश्य के साथ 'निर्यात व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस)' नामक-एक योजना का वर्ष 2017-18 से कार्यान्वयन कर रहा है। निर्यात से संबंधित अवसंरचनात्मक अंतराल हैं जैसे परिचालनों की बेंचमार्किंग, परीक्षण सुविधाएं, कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं, बंदरगाहों हेतु अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवसंरचना का प्रावधान, सीमा-हाटों की स्थापना, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन आदि, जो प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

तदनुसार, योजना पात्र केंद्रीय/राज्य एजेंसियों और संयुक्त उद्यमों को निर्यात लिंकेजो के साथ अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना और उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करती है। पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुदान जारी करने के लिए टीआईईएस संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के समक्ष रखा जाता है। वर्ष 2017-18 से अपनी स्थापना से अब तक टीआईईएस के तहत 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 66 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। ईसी समय-समय पर सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा करता है और कार्यान्वयन एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी करता है।

****